उपभोक्ता संरक्षण एवं मानवाधिकार

(Consumer Protection & Human Rights)

महाराणा प्रताप अध्ययन एवं जन कल्याण संस्थान जयपुर आरम्भ से ही उपभोक्ता संरक्षण एवं मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण एवं मानवाधिकार चेतना कार्यक्रम के तहत विचार गोष्ठी, सेमीनार, विधिक चेतना शिविरों आदि का आयोजन किया जाता रहा है।

1. **उपभोक्ता संरक्षण एवं मानवाधिकार चेतना कार्यक्रमः—** संस्थान द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु नियमित रूप से विचारगोष्ठियां आयोजित की जाती है इसके अतिरिक्त मानवाधिकार चेतना कार्यक्रम के तहत लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता हैं। इन विचार गोष्ठियों में आम जनता से विचार जानकर उनके हितों के लिए जागृत किया गया एवं उचित सलाह व मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
2. **विधिक उपचार केन्द्र कार्यक्रमः—** संस्थान द्वारा विधिक उपचार केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। प्रधान कार्यालय में विधिक उपचार केन्द्र की स्थापना की गई। जिसके लिए केन्द्र पर निःशुल्क परामर्श, आवश्यक विधि जानकारियां, आपसी सहमति से विवादों का निपटारा एवं आवश्यकतानुसार निःशुल्क पैरवी की जाती है। विगत चार वर्षों से संस्थान द्वारा जयपुर में तीन स्थानों पर, दौसा, सीकर, बीकानेर तथा किशनगढ़, अजमेर में एक—एक स्थानों पर केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।